

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 60
दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत परियोजनाएं

*60. श्री सी. एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वम:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों सहित तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और निजी उद्यमियों को उक्त निधि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऋण 'लिकेज', 'हैंडहोल्डिंग' और तकनीकी सहायता सहित ऐसे सुविधा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन जिलों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु स्तर की दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्यवर्धन और शीत शृंखला अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसानों, एफपीओ और एमएसएमई के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम में जागरूकता, क्षमता निर्माण या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यदि हां, तो कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकासनिधि के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 60 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) तमिलनाडु में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के तहत 2321.29 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली कुल 42 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जिलों से कोई भी परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है; हालांकि इन जिलों से 22 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपात्र थीं। तमिलनाडु में अनुमोदित परियोजनाओं का जिला-वार विवरण इस प्रकार है।

तमिलनाडु में AHIDFके तहत जिला-वार अनुमोदित परियोजनाएं			
क्रम. सं.	जिले का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं (सं.)	परियोजनालागत (करोड़ रु.में)
1	कोयंबटूर	8	123.01
2	धर्मपुरी	1	75.13
3	डिंडीगुल	8	197.35
4	इरोड	5	1,333.45
5	करूर	2	93.8
6	कृष्णागिरी	5	67.79
7	नमक्कल	2	92.58
8	पेरम्बलुर	1	0.34
9	सेलम	1	140.14
10	तिरुपूर	8	193.89
11	विरुधनगर	1	3.81
कुल		42	2321.29

(ख) और (ग) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के तहत, एक पूर्णतः डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल (ahidf.udyamimitra.in) के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। इस पोर्टल को आवेदकों, जिनमें FPO, सहकारी समितियां और MSME शामिल हैं, की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, विशेष रूप से MSME और लघु स्तरीय इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए, MSME के लिए ब्याज दर EBLR + 200 आधार अंक तक सीमित है, और उन्हें कुल ऋण के 25% तक ऋण गारंटी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, उनकी सुविधा के लिए पोर्टल पर मॉडल DPR भी उपलब्ध कराए गए हैं। तमिलनाडु में AHIDF के तहत 1 FPO, 2 सहकारी समितियों, 22 MSME, 15 निजी कंपनियों और 2 व्यक्तिगत उद्यमियों की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

(घ) अब तक सभी पात्र संस्थाओं के लिए डेयरी अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए एएचआईडीएफ के तहत, पूर्ववर्ती डीआईडीएफ (डेयरी सहकारी समितियों) के साथ 1645.17 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 10 परियोजनाओं और 285.82 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 4 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, एनपीडीडी के तहत, तमिलनाडु में 30009.45 लाख रुपये की कुल परियोजना

लागत वाली 10 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 20844.86 लाख रुपये है और इसमें से 19219.275 लाख रुपये की राशि तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई है।

(ड) जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) हितधारकों की जागरूकता बढ़ाने हेतु केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियमित जनसंपर्क (Outreach) कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यशालाएँ और समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य पशुपालन विभागों और बैंक में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।